प्रपत्र सं0-563

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

23

अभिलेख उपस्थापित।

सावित्री देवी पति स्व0 प्रसादी राम, निवास स्थान ग्राम-चन्दवार, थाना-मुफस्सिल, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चन्दवार, थाना नं0-241, खाता संख्या-04 प्लॉट संख्या-861, रकवा 0.1850 एकड़ (18.50 डिसमिल) (अठारह दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि रवि कुमार दास पिता रामचन्द्र रविदास, निवास स्थान कोर्रा, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग वर्तमान निवास स्थान बड़ा बाजार, ग्वाल टोली, हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित क्रेता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए आवेदन समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-588/2022 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 3254/रा0 दिनांक 01.09.2022 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 481 दिनांक 13.03.2023 से जाँच प्रतिवेदन, आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा एवं चेक स्लीप उपलब्ध कराया गया है। आम इस्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार –

क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जाति के अन्तर्गत है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि खतियान से हासिल है। खतियान के अनुसार रैयती किस्म की भूमि है। खतियानी रैयत किसुन भुइंया हैं। खतियान के अनुसार कुल रकवा 3.3150 एकड़ भूमि है। पंजी-II अनुसार जमाबंदी रैयत द्वारा धारित कुल रकवा 3.3150 एकड़ भूमि है। वर्ष 2008-09 तक लगान रसीद निर्गत् है। विक्रेता के दादा ससुर के नाम से जमाबंदी दर्ज है। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 0.55 एकड़ भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् रकवा 0.3650 एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन विभाग की भूमि/ सरकारी भूमि के अन्तर्गत नहीं है तथा BLR Act Section-4h से मुक्त है। विक्रेता का दखल कब्जा है।

प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है।

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी तारी
1	2	3
	अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है।	
	उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में सावित्री देवी पति स्व0 प्रसादी राम, निवास स्थान ग्राम-चन्दवार, थाना-मुफ्फसिल, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-चन्दवार, थाना नं0-241, खाता संख्या-04 प्लॉट संख्या-861, रकवा 0.1850 एकड़ (18.50 डिसमिल) (अठारह दशमलव पाँच शून्य डिसमिल) भूमि रवि कुमार दास पिता रामचन्द्र रविदास, निवास स्थान कोर्रा, थाना-कोर्रा, जिला-हजारीबाग वर्तमान निवास स्थान बड़ा बाजार, ग्वाल टोली, हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।	
	लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.05.20 16:09:26 +05:30
Location: 192.168.0.101